कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

(सामान्य वर्ग)

पत्रांकः-11771 एम0टी0/40एम0टी0/सामान्य वर्ग/2024-25 दिनांकः 08/ 11 /2024

कार्यालय-ज्ञाप

उप सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या- 1/32995 /2024 दिनांक 03.09.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यालय-ज्ञाप सं0-10625एम0टी0/ 40एम0टी0/सामान्य वर्ग/2024-25 दिनांक 06.09. 2024 के द्वारा यह आदेश पारित किये गये है कि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में श्रेणी 'ए' एवं श्रेणी 'बी' के ठेकेदारों के जो पंजीकरण प्रमाण पत्र क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा निर्गत किये जायेंगे, वह प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मान्य होगें।

लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के द्वारा प्रदेश के बाहर के ठेकेदारों के पंजीकरण का कार्य भी किया जाता है। अतः यह आदेश पारित किये जाते है कि भारत के दूसरे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण की कार्यवाही भी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा की जायेगी, सम्बन्धित ठेकेदार अपनी सुविधानुसार किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय का चयन कर सकेगा। इसी प्रकार उ0प्र0 के ठेकेदार अपनी सुविधानुसार श्रेणी 'ए' एवं श्रेणी 'बी' के प्रदेश स्तरीय पंजीकरण हेतु किसी भी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय का चयन कर पंजीकरण की कार्यवाही करा सकेंगे। ठेकेदारों के पंजीकरण/वर्गीकरण नियमावली, 1982 यथा संशोधित के शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

SD/-

(योगेश पवार)
प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं
विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, लो0नि0 अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0। (ई-मेल द्वारा)
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0। (ई-मेल द्वारा)

8/11

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं
विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,
लखनऊ।